



2026: AHC: 42647

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2871/2026

कुमारी अरिमा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : देवीदयाल तिवारी, जय राज

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जय राज और राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 21.10.2021 को ग्राम पंचायत कमहरिया, ब्लॉक नगवा, जिला सोनभद्र में पंचायत सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया था। चूंकि रिट याचिकाकर्ता को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 13242 वर्ष 2024 (कुमारी अरिमा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) दाखिल की थी जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त रिट याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता को मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। फिर भी, अब जो राहत मांगी गई है वह सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक और आज की तिथि तक के मानदेय के भुगतान के संबंध में है।
3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादीगण को इस दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), सोनभद्र द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. इस सुझाव पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 3 इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 3 की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।
7. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादीगण से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः इस आदेश के पारित होने को इस रूप में न देखा जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुणों पर कोई विचार व्यक्त किया है।
8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

25 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।